

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग -दो

शुक्रवार, दिनांक 24 जून, 2022 (आषाढ़ 3, 1944)

माननीय सर्वश्री अमरजीत भगत, कुंवर सिंह निषाद, भुनेश्वर शोभाराम बघेल एवं शैलेश पाण्डेय, सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

1. कृपया पुलिस उपायुक्त, नईदिल्ली, जिला-नईदिल्ली की ओर से प्राप्त ईमेल/पत्र क्रमांक 3290/SO-DCP(AC-IV)/NDD, DATED, NEW DELHI 21.6.2022 जो विधान सभा सचिवालय में दिनांक 22.06.2022 को प्राप्त हुआ है, द्वारा यह सूचना दी गई है कि -

दिल्ली पुलिस अधिनियम,1978 की धारा 65 के तहत छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य, माननीय श्री अमरजीत भगत को दिनांक 21.06.2022 को सार्वजनिक स्थान पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपराहन 2:00 बजे नई दिल्ली जिले के पुलिस थाना, तुगलक रोड क्षेत्र में गिरफ्तार कर पुलिस थाना, नरेला, दिल्ली ले जाया गया तथा दिनांक 21.06.2022 को ही रात्रि 11:34 बजे उन्हें पुलिस थाना, नरेला, दिल्ली से रिहा कर दिया गया।

2. कृपया पुलिस उपायुक्त, नईदिल्ली, जिला-नईदिल्ली की ओर से प्राप्त ईमेल/पत्र क्रमांक 3304/SO-DCP(AC-IV)/NDD, DATED, NEW DELHI 21.6.2022 जो विधान सभा सचिवालय में दिनांक 22.06.2022 को प्राप्त हुआ है, द्वारा यह सूचना दी गई है कि -

दिल्ली पुलिस अधिनियम,1978 की धारा 65 के तहत छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य, माननीय श्री कुंवर सिंह निषाद तथा माननीय श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल को दिनांक 21.06.2022 को सार्वजनिक स्थान पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपराहन 2:00 बजे नई दिल्ली जिले के पुलिस थाना, तुगलक रोड क्षेत्र में गिरफ्तार कर पुलिस थाना, बवाना दिल्ली ले जाया गया तथा दिनांक 21.06.2022 को ही रात्रि 11:34 बजे उन्हें पुलिस थाना, बवाना, दिल्ली से रिहा कर दिया गया।

क्रमशः... 2

3. कृपया पुलिस उपायुक्त, नईदिल्ली, जिला-नईदिल्ली की ओर से प्राप्त ईमेल/पत्र क्रमांक 3297/SO-DCP(AC-IV)/NDD, DATED, NEW DELHI 21.6.2022 जो विधान सभा सचिवालय में दिनांक 22.06.2022 को प्राप्त हुआ है, द्वारा यह सूचना दी गई है कि -

दिल्ली पुलिस अधिनियम,1978 की धारा 65 के तहत छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य, माननीय श्री शैलेश पाण्डेय को दिनांक 21.06.2022 को सार्वजनिक स्थान पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपराहन 2:00 बजे नई दिल्ली जिले के पुलिस थाना, तुगलक रोड क्षेत्र में गिरफ्तार कर पुलिस थाना, वसंतकुंज, उत्तर दिल्ली ले जाया गया तथा दिनांक 21.06.2022 को ही रात्रि 11:34 बजे उन्हें पुलिस थाना, वसंतकुंज, उत्तर दिल्ली से रिहा कर दिया गया।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.